प्रेस विज्ञप्ति

मनिका : ग्राम स्वराज अभियान व नरेगा सहायता के संयुक्त तत्वावधान में आज दिनांक 14 जून 2013 को मनिका प्रखंड कार्यालय परिसर में मनरेगा/जनवितरण प्रणाली, मध्यानभोजन, आंगनबाड़ी तथा पेंशन (वृद्धा व विधवा पेंशन) के मामले में जनसुवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनावाई में लातेहार के उपायुक्त अराधना पटनाया, उप विकास आयुक्त रामदेव दास, नरेगा लोकपाल शिवशंकर प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालय के राज्य सलाहकार बलराम जी, अर्थशास्त्री प्रो. ज्यां द्रेज, अर्थशास्त्री व आईआईटी दिल्ली से डॉ रितिका खेड़ा तथा प्रखंड के सभी संबंधित अधिकार व कर्मचारी सहित करीब 500 की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया, जिसमें ज्यादा तर बुद्ध व महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। जन सुवाई कार्यक्रम में शोध के छात्र एवं के छात्रों द्वारा किये गये सर्वे से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सुनसुवाई की गयी।

यह सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही 5 अधिकार आधारित योजनाओं को केन्द्रित करते हुए की गई है। इन पांचों योजनाओं में समेकित बाल विकास योजना, मध्याह्न भोजन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, लक्षित जन वितरण प्रणाली, एवं पेंशन योजनाएं शामिल हैं। प्रत्येक गांव में सर्वे टीम के द्वारा एक ग्राम प्रश्नावली, 25 पारवारिक प्रश्नावली, 12 पेंशन प्रश्नावली तथा उस गांव के सभी विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन सूचि का भौतिक सत्यापन किया गया गया है। गांव स्थित राशन दुकान का जांच किया गया। ये चार गांव हैः– विशुनबांध पंचायत का विशुनबांध गांव, कोपे का भटको, जान्हों का पटना एवं बन्दुआ पंचायत का पूर्णी पल्हेया। सर्वे के दौरान टीम ने पाया कि :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– सर्वे में सम्मिलित सभी गांवों में वित्तीय वष्र 2008–09 के बाद बहुत कम योजनाओं संचालित की गई हैं। बैंक एवं पोस्ट ऑफिस से मजदूरी भुगतान अनिवार्य होने के बावजूद यह पाया गया है कि अभी भी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नगद रूप में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जान्हों पंचायत के पटना गांव में यह पाया गया कि वर्ष 2013 में भी मजदूरों को बिचौलियों द्वारा खाते से राशि की निकासी कर नगद भुगतान किया गया है। अधिकांश रोजगार कार्डधारियों ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में कार्य नहीं किया है। इसके बावजूद इलेक्टॉनिक जॉब कार्ड में फर्जी कार्य दिवस दर्ज कर राशि का भुगतान दिखाया गया है।

जनवितरण प्रणाली :– सर्वेक्षित सभी गांवों में राशन दुकान से लाभुकों को राशन का वितरण किया जा रहा है लेकिन किसी भी राशन दुकान से डीलरों द्वारा लाभुकों को निर्धारित 35 किलो खाद्यान्न वितरण नहीं किया जा रहा है। राशन वितरण की मात्रा 30 से 32 किलो प्रति लाभुक वितरण किया जा रहा है। अतिरिक्त बी0 पी0 एल0 लाभुकों को राशन वितरण मामले में राशन डीलर और लाभुक दोनों में ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राशन का आवंटन कब होगा इसकी कोई कारगर प्रणाली नहीं है। लाभुकों को यह भी मालूम नहीं है कि राशन कब मिलेगा और भविष्य में यह मिलेगी भी या नहीं। विशुनबांध में यह पाया गया कि राशन के लाभुक यदि 15वीं तिथि को खाद्यान्न ले पाने में असमर्थ होते हैं तो अगले दिन उन्हें खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है। लाभुकों को निर्धारित मात्रा 35 किलोग्राम से कम राशन देने के मामले पर राशन डीलरों का कहना है कि मनिका स्थित गोदाम से ही उन्हें कम राशन आवंटित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में डोर स्टेप डिलीवरी सेवा बन्द है जिसके कारण राशन डीलरों को अपने खर्चे से मनिका स्थित गोदाम से दुकान तक खाद्यान्न उठाव का खर्च स्वयं वहन करना पड़ रहा है।

पेंशन योजनाएं (विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन) :– पेंशन लाभुक सूचि में जो नाम दर्ज हैं, ज्यादातर योग्य लाभुक हैं। लेकिन पेंशन राशि का भुगतान नियमित अर्थात प्रत्येक माह के 7वीं तिथि को नहीं किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद भुगतान प्रणाली की कोई नियत तिथि निर्धारित नहीं की गई है। पेंशन राशि भुगतान की सूचना लाभुकों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण लाभुक बार–बार बैंक/पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगाते परेशान होते हैं। मनिका प्रखण्ड में अंतिम बार पेंशन राशि का भुगतान मार्च के महीने में की गई है और वह भुगतान भी जनवरी 2013 का था। सर्वे में दो बातें स्पष्ट तौर पर सामने आये हैं पहला यह कि कुछ पेंशनधारियों के पासबुक अद्यतन नहीं है तथा कुछ पासबुक ऐसे मिले जिनमें खाते खोलने के उपरान्त किसी तरह की प्रवृष्टि दर्ज नहीं है। प्रत्येक गांव में ऐसे भी लाभुक पाये गये हैं जिनके नाम बी0 पी0 एल0 कार्ड में दर्ज है। पेंशन पाने के सारी आहर्त्ताएं पूरी करते हैं। इसके बावजूद वे पेंशन योजना के लाभ से वंचित हैं। सभी पेंशनधारियों को भुगतान लेने के लिए मनिका स्थित बैंकों में जाना पड़ता है जिसमें पूरा एक दिन का समय लग जाता है। बैंकों अथवा पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे असहाय वृद्धों के पेंशन भुगतान के लिए कोई अलग से भुगतान खिड़की की व्यवस्था नहीं है। सभी गांव में 3 से 5 ऐसे पेंशनधारी मिले जो कुछ सालों पूर्व में ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद उनके खाते में पेंशन की राशि नियमित रूप से भेजी जा रही है और वह राशि उन खातों में अनुपयोगी पड़े हुए हैं। मनिका अंचल अंतर्गत विधवा पेंशन की कुल स्वीकृत सूचि 1187 में से 43 ऐसे नाम मिले हैं जिनके नाम दोहरे रूप में नाम दर्ज हैं। इसी भांति वृद्धावस्था पेंशन की कुल सूचि 3960 में 41 नाम दोहरे रूप में दर्ज हैं। बैंकों के स्तर पर दोहरे नामवाले लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान नहीं की जाती है। बल्कि अतिरिक्त राशि चेक के माध्यम से अंचल को वापस कर दी जाती है। इस कारण बहुत सारे जरूरतमंद वृद्ध पेंशन योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। पेंशन धारियों के मामले में राशन डीलरों खासकर विशुनबांध का कथन यह है कि पेंशन और राशन दोनों का लाभ एक साथ नहीं दिया जा सकता है ऐसा कर उन्होंने पेंशनधारियों को राशन देना बंद कर दिया है। झारखण्ड राज्य के ही दुमका जिले की तुलना में लातेहार जिले के मनिका प्रखण्ड में लाभुकों के चयन एवं स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका कम हुई है इसके लिए जिला प्रशासन की जनपक्षीय पहल सराहनीय है। उसे आगे भी इस प्रक्रिया का जारी रखने की जरूरत है।

समेकित बाल विकास योजना : आंगनबाड़ी केन्द्रों का दायरा काफी बढ़ा है। सर्वे में यह निकलकर सामने आया है कि आंगनबाड़ी केन्द्र और टोला, बसाहटों की दूरी काफी अधिक होने के कारण आज भी बहुत सारे बच्चे आंगनबाड़ी में मिलने वाली सेवाओं से वंचित है। सर्वेक्षित आंगनबाड़ी केन्द्रों में वर्त्तमान में जो सेवाएं नियमित रूप से दी जा रही हैं उनमें टीकाकरण, सूखा राशन वितरण, स्वास्थ्य जांच एवं आयरन की गोली का वितरण शामिल हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों में जिन सेवाओं से लोंगों को वंचित किया जा रहा है वो हैं मीनू के अनुसार नियमित रूप से पोषाहार का वितरण न करना, स्कूल पूर्व शिक्षा एवं रेफरल सेवाएं शामिल हैं। कुछ आंगनबाड़ी केन्द्रों में आज भी आधारभूत संरचानाएं उपलब्ध नहीं हैं। जर्जर और नीजि घरों में केन्दों का संचालन किया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन योजना :– सर्वेक्षण में सम्मिलित गांवों में मध्याह्न भोजन सभी विद्यालयों में नियमित रूप से दी जा रही है लेकिन मीनू का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, खासकर सप्ताह में एक दिन अण्डा स्कूली बच्चों को नहीं दी जा रही है। आंगनबाड़ी से संबंधित ि ाकायतों पर चर्चा तथा जन सुवाई की। सर्वे टीम ने जन सुवाई आगनबाड़ी के संदर्भ एक संक्षिप्त रिपोर्ट रखते कहा कि अधिकतर आंगनबाड़ी केद्र में आधारभूत संरचना का अभाव पाया तथा अधिकां ा केंद्रों में तय मनदंड के अनुरूप बच्चों पोशहार नहीं मिलने का शिकायत रिपोर्ट आया है।

जनसुवाई के दौरान विशुणबांध के अर्जून सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा नरेगा का काम नहीं किया है, मगर उनके नाम से फर्जी 60320 राशि निकासी गयी। वहीं झालो देवी ने कहा कि उनका जॉब कार्ड ग्राम प्रधान सुरजा उरांव के पास दो वर्ष अपने पास रखा है, जबकि पेंशान कराने के नाम पर जॉब उससे लिया था, मगर आज तक वापस नहीं किया है। जबकि उसके जॉब कार्ड पर 20064 रुपये दो वर्ष निकासी हुई है। जान्हो पंचायत के नथु उरांव ने कहा कि उन्हें 30 किलो बीपीएल का रा ान मिलता है, इसके लिए उन से 40 रुपये लिये जाते है, जो नियम के विरुद्ध है। जन सुवाई के दौरान ग्रामीणों से पूछा गया कि क्या उन्हें 35 रुपये में 35 किलो अनाज मिलता है, मगर ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें 28 से 32 किलो ही अनाज मिलता है, वह भी अधिक दामों में मिलता है।

जन सुवाई के दौरान निकल कर आये मामलों पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त ने नराजी जाहिर करते हुए कहा, जिस तरह सुनववाई में मामले निकल कर सामने आये यह काफी गंभीर है। उन्होंने कार्यवाई करते हुए विशणु बांध के राशन डीलर नरायाण यादव व पटना गांव के राशन डीलर प्रभु सिंह को तत्काल दुकान को निलंबत करते हुए लाईसेंस रद करने का आदेश दिया। उन्होंने मनरेगा के संदर्भ अपनी बात रखते हुए सबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फर्जी निकासी से संबंधित कर्मचारी अथवा व्यक्ति तथा बैक, पोस्टऑफिस सहित सभी दोषियों की पहचान कर उन पर कार्यवाई की जाये। मध्यान भोजन के संदर्भ कहा कि मध्यान भोजन को दुरूस्त किया जाये तथा मेनू के अनुसार भोजन देने की व्यवस्था की जाये, जिसमें बुधवार को अंडा, मंगलबार केला तथा शुक्रवार को सोयाबिन देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पेंशनधारियों के खाता में हर माह 5 तारीख पेंशन राशि भेज दिया जाये। उन्होंने जन सुनवाई लोगों को बताया कि पुरे वित्तीय वर्ष में 48 लाख उपर राशि प्रखंड को भेज दिया गया।

जन सुवाई व सर्वे के आधार जो मांग निकल समाने आयी, उसकी प्रस्तुति प्रो. ज्यां द्रेज ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसे टोले जहां 0–6 वर्ष तक 40 बच्चे है, वहां तुरंत सर्वे कर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाए। मध्यान भोजन मेंनू के अनुसार दिया जाये, जिसमें पौष्टिक भोजन शामिल है। राशन को राशन डीलर तक पहुचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन सुनिश्चित करे, ताकि समय से लाभुकों राशन दिया जा सके। उन्होंने मनरेगा पर मांग रखते कहा कि काम करने के लिए काफी मजदूर इच्छुक है, परंतु उन्हें काम नहीं मिलने के कारण पलायन करना पड़ रहा, तत्काल काम खोला जायेगा और समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाये और इस मामले अलग से जन सुनवाई व सामाजिक अंकेक्षण किया जाये। उन्होने कहा कि घर–घर जा कर योग्य लोगों को चिन्हित करेंगे और उनके पेंशन को सुनिश्चित करायें।

जनसुवाई कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के राज्य सलाहकार बलाराम जी ने भी अपनी भी संबोधित कर सामाजिक सुरक्षा योजना में हो रही लूट तथा भ्रष्टाचार के मामले अफसोस जाहीर करते हुए, तत्काल दुरूस्त करने का निर्देश किया। सर्वे टीम में मनीषा, निधानजीत, आर्दश, जेसिका, साम्बा शिवा, आनंदिता, सुनिल, अमरदयाल, पाचठी सिंह, विपिन, लालबिहारी, श्यामा सिंह, ने जनुसवाई कार्यक्रम के विस्तृत रिर्पोट तथा केस को रखें। वहीं सुनसुवाई कार्यक्रम का संचालन नरेगा सहायता केंद्र मनिका के जेम्स हेरेंज ने किया। जन सुवाई के दौरान टीम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।